Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

भारत का संविधान

The Constitution of India

!! भारत का संविधान !!

- उद्देशिका -

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिये

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

————00————

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

© NCERT not to be republished

भारत में संवैधानिक विकास

ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन विकास	ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास
1. रेग्युलेटिंग एक्ट – 1773	1. भारत शासन अधिनियम – 1858
2. पिट्स इंडिया एक्ट – 1784	2. भारत परिषद् अधिनियम – 1861
3. चार्टर एक्ट – 1813	3. भारत परिषद् अधिनियम – 1892–93
4. चार्टर एक्ट – 1833	4. मार्ले–मिन्टो सुधार या भारत परिषद अधिनियम – 1909
5. चार्टर एक्ट – 1853	5. भारत शासन अधिनियम – 1919
6. भारत शासन अधिनियम – 1935	

संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता - 4 जुलाई 1776

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला देश था, जिसके पास स्वयं का लिखित संविधान था। यह दुनिया का सबसे छाटा और सबसे पुराना संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। अभी तक इसमें केवल 27 बार संशोधन किया गया है। इनका संविधान 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में 55 डेलीगेट्स ने तैयार किया था जो कि 4 मार्च 1789 में सभी 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इंग्लैण्ड एवं इजराइल ही ऐसे दो देश है जिनका लिखित संविधान नही है।

भारत में संवैधानिक विकास -ईस्ट इंडिया कंपनी

ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ई. मे *जॉन वॉट* और व्हाइट द्वारा की गई थी, यह 72 व्यापारियों की संयुक्त पूंजी कंपनी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का 21 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का पूरा नाम – The Governer and the Company of Merchants Tranding to the East Indies था, इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था।

कंपनी का 1608 ई. मे भारत मे आगमन हुआ और 1608 ई. मे ही सूरत मे कंपनी ने अपनी पहली प्रेसीडेंसी (प्रशासनिक कार्यालय) एवं पहली फैक्टो (व्यापारिक कार्यालय) स्थापित की। 1608 ई. मे कंपनी की ओर से हॉकिन्स नाम का व्यापारी कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कराने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर से मिला किन्तु सफल नही हो सका। 1615 ई. मे एक अन्य ब्रिटिश व्यापारी सर टामॅस रो ब्रिटिश राजकुमार की ओर से जहांगीर से मिला और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने मे सफल रहा।

इसके बाद कंपनी का व्यापार लगातार बढ़ता गया और कंपनी ने मद्रास, बंबई, कलकत्ता म अपनी प्रेसीडेंसी स्थापित कर दी यद्यपि औरंगजेब ने कंपनी की सूरत प्रेसीडेंसी पर आक्रमण कर उसे गहरा नुकसान पहुंचाया। इस आक्रमण के दौरान जॉन चाइल्ड नामक अंग्रेज को जान बचाकर भागना पड़ा था।

औरंगजेब की मौत के बाद 1717 ई. मे जॉन सुर्मन के नेतृत्व मे एक अंग्रेज प्रतिनिधि मण्डल मुगल सम्राट फर्रूखशियर से मिला और इस प्रतिनिधि मण्डल के एक डॉक्टर हेमिल्टन द्वारा फर्रूखशियर की एक बीमारी का सफल इलाज कर दिया गया जिससे खुश होकर फर्रूखशियर ने कंपनी के व्यापारियों को बंगाल म निःशुल्क व्यापार के लिए लाइसेंस जारी कर दिये।

जब अंग्रेजो ने इस लाइसेंस का दुरूपयोग किया तो 1756 ई. मे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रजो को पकड़कर एक कालकोठरी मे बंद कर दिया जिसमे 123 अंग्रेजो की मौत हो गई और कंपनी के गर्वनर राबर्ट क्लाइव ने नवाब पर आक्रमण कर दिया। 1757 ई. के प्लासी युद्ध मे नवाब की हार हुई और कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया। 1764 ई. के बक्सर युद्ध की विजय ने कंपनी का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। कंपनी का प्रशासन सचालित करने के लिए 24 सदस्यों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की गई। कंपनी की गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार के राजस्व मे लगातार कमी आ रही थी। जब कंपनी ने घाटे के चलते ब्रिटिश

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

सरकार से एक मिलियन का कर्ज मांगा तो सरकार को कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने पड़े और इसी के अंतर्गत 1773 ई. मे रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित किया गया।

संवैधानिक विकास

रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773

यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था इसे 1773 मे ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया और 1774 ई. मे यह लागू हुआ जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे –

1. बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को कलकत्ता प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवनर को बंगाल का गवनर जनरल कहा जाने लगा। ***वारेन हेंस्टिंग्स बंगाल का पहला गर्वनर जनरल बना।***
2. गवनर जनरल को सलाह देने के लिए एक गवनर जनरल परिषद का गठन किया गया जिसमे 4 सदस्य होते थे इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था पर इनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के नाम से की जाती थी और उन्हे समय के पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर केवल क्राउन ही अलग कर सकता था। इसमे 4 सदस्य थे – फिलिप फ्रांसिस, बोरवल, मॉनसन तथा क्लेवरिंग।
3. एक्ट के द्वारा **1774 ई.** मे एक **सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता** की स्थापना की गई जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीश थे – **एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने**। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय के विरूद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल मे की जा सकती थी।
4. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या 24 थी यह एक वर्ष के लिए चुने जाते थे इनकी नियुक्ति मे भी परिवर्तन किया गया और अब इन्हे 4 वर्षो के लिए नियुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष 6 सदस्य रिटायर्ड होते थे और 6 नए सदस्य नियुक्त किए जाते थे।
5. इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों को भारतीयों से कोई भी उपहार, परितोषक या भेंट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही बगैर लाइसेंस के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई साथ ही भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए गए।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का वास्तविक प्रयास था इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार थे –

1. भारत के गवनर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और यदि विवाद की स्थिति मे फैसला 2:2 पर पहुंच जाता था तब इस स्थिति मे उस निर्णय को स्वोकार किया जाएगा जिसका समर्थन गवनर जनरल करेगा।

नोट– 1786 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस मामले म गवनर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान की गई थी अर्थात् ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा जिसका गवनर जनरल विरोध करता है।

2. कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यो को अलग–अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल व्यापारिक मामलों पर निर्णय ले सकता था। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल नामक नई संस्था स्थापित की गई जो कम्पनी की राजनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाली 6 सदस्यीय संस्था थी। इन 6 सदस्यों मे ब्रिटेन के मंत्री, ब्रिटेन का विदेश सचिव, एवं चार अन्य सदस्य जो प्रिवी काउन्सिल के सदस्यों मे से चुने जाते थे, शामिल थे। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल भारत के सभी राजनैतिक मामलों हेतु निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इस प्रकार बंगाल मे पहली बार द्वैत शासन की स्थापना हुई।
3. यह भी निश्चित कर दिया गया कि अब गवनर जनरल, बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की अनुमति के बिना युद्ध एवं संधि से संबंधित कोई भी निर्णय नही लेगा। इस अधिनियम के कारण ब्रिटेन में North और Fox की मिलीजुली सरकार को

इस्तीफा देना पड़ा था।

ईस्ट इंडिया कंपनी

- कंपनी का संचालन मण्डल → 72 सदस्य
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स → 24 प्रशासनिक अधिकारी
- गर्वनर जनरल परिषद → 1773
- बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल → 1784

चार्टर एक्ट अधिनियम-1813

नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना के कारण यूरोप मे ब्रिटिश व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और इसी के चलते ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भारत के साथ व्यापार की लगातार मांग कर रही थी यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था।

अधिनियम के प्रावधान –

1. भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और अब इंग्लैण्ड की दूसरी कंपनी को भी भारत से व्यापार की छूट दे दी गई यद्यपि कंपनी के साथ **चाय एवं चीन** के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया।
2. भारत पर कंपनी के राजनैतिक अधिकार को अगले 20 वर्षो तक बढ़ा दिया गया।
3. भारत मे शिक्षा के विकास के लिए **पहली बार 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष** मंजूर किए गए।
4. ईसाई मिशनरीज को भारत मे अपने धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई, यद्यपि वे भारत मे सम्पत्ति अर्जित नही कर सकते थे और न ही स्थायी रूप से बस (निवास करना) सकते थे।
5. भारत पर क्राउन की सम्प्रभुता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

चार्टर अधिनियम 1833

चार्टर अधिनियम-1833 (सेंट हेलेना अधिनियम)

यह अधिनियम सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम पर जॉन स्टुअर्ड मिल एवं बैंथम के "**उपयोगितावादी सिद्धांत**" (अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख) का काफी प्रभाव देखा गया था। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित है –

1. कंपनी का शासन अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया।
2. कंपनी को अब भारत म केवल राजनैतिक कार्य ही करने की छूट थी उसके समस्त व्यापारिक अधिकारो को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया एवं उसके चाय एवं चीन से भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए।
3. बंगाल का गवनर जनरल अब भारत का गवनर जनरल कहा जाने लगा। लार्ड विलियम बैंटिक भारत का पहला गवनर जनरल बना।
4. गवनर जनरल की शक्तियों मे भी वृद्धि की गई उसे अब सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह इस अधिनियम मे केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई दी।
5. गवनर जनरल परिषद के सदस्यों को संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, चौथे सदस्य के रूप मे विधि मंत्री की नियुक्ति की गई, लार्ड मैकाले पहला विधि मंत्रो बना।
6. सिविल सेवाओं मे रंग, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भारतीयों से किया जाने वाला भेदभाव समाप्त कर दिया गया किन्तु सिविल सेवा मे भारतीयों के लिए दरवाजे एक लंबे समय बाद 1853 मे खोले गये।
7. जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला के कुछ क्षेत्र को छोड़कर ईसाई मिशनरीज को भारत मे धर्म प्रचार के साथ–साथ स्थायी रूप से बसने एव सम्पत्ति खरीदने के अधिकार दिए गए।

चार्टर अधिनियम-1853

यह कंपनी के संबंध मे ब्रिटिश सरकार का अतिम अधिनियम था इसके प्रमुख प्रावधान निम्न है –

- ❖ कंपनी के राजनैतिक शासन को भारत मे अनिर्िचतकाल के लिए बढ़ा दिया गया।
- ❖ कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों को दो भागो मे बांट दिया गया।

विधायिका संबंधी कार्य (कानून बनाने का कार्य CLC) :– कानून बनाने के लिए एक नई संस्था केन्द्रीय विधान परिषद गठित की गई, इसमे गवनर जनरल, मुख्य सेनापति, गवनर जनरल परिषद के चार सदस्यों के अलावा बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एव मद्रास, बंबई, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की विधान परिषदो द्वारा भेजे गए एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार इस CLC मे कुल 12 सदस्य थे और उसकी स्थिति एक मिनी संसद की तरह थी दूसरे शब्दों मे भारत की संसद इसी अधिनियम द्वारा गठित की गई यद्यपि यह एक सदनीय थी जबकि केन्द्रीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए इन कानूनों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी गवनर जनरल और उसकी परिषद की थी।

- ❖ बंगाल के प्रशासन को गर्वनर जनरल के अधिकार से पृथक कर दिया गया और बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवनर की नियुक्ति की गई।
- ❖ बोड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई।
- ❖ भारत मे सिविल सेवा मे सुधार के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की गई।

नोट :– इसी आधार पर 1854 मे सिविल सेवा मे सुधार के लिए "लार्ड मैकाले आयोग" का गठन किया गया और इसी आयोग के सुझाव पर 1855 मे पहली बार इसकी नियुक्ति के संबंध म परोक्षा पद्धति की शुरूआत हुई साथ ही पहली बार भारतीयों को इस परीक्षा मे भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई यद्यपि यह परीक्षा केवल लंदन मे आयोजित होती थी।

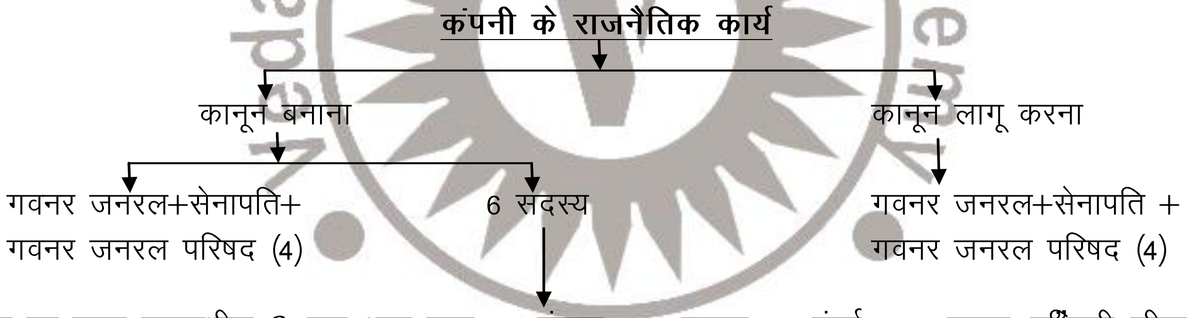

1. बंगाल का मुख्य न्यायाधीश 2. एक अन्य जज 3. बंगाल 4. मद्रास 5. बंबई 6. उत्तर–पर्िचमी सीमा प्रान्त की विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भेजे गए एक–एक सदस्य।

ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास ताज का शासन (1858-1947)
भारत सरकार अधिनियम-1858

इस अधिनियम को *"Act for The Better Government in India"* **भी कहा जाता है।**

प्रावधान :–

1. भारत का गवनर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। **लार्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना।**
2. *Board of director* एवं *Board of control* को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन की जिम्मेदारी अब एक नई संस्था – *"India Council"* या *India House"* को सौप दी गई जिसका प्रमुख भारत सचिव कहलाता था जो कि ब्रिटिश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होता था। **स्टेनले भारत का पहला भारत सचिव बना।** उसे सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद होती थी। 1861 में इंडिया काउसिल गठित की गई जिसके 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट एवं 7 सदस्य *Board of Directors* द्वारा नियुक्त किए जाते थे।

जनवरी 1884 :– भारत में कंपनी का औपचारिक शासन को समाप्त किया गया था।

Shri Vedanta Civil Service Academy Indore
G-14,336, Veda Business Park Bhawarnkua Indore 0731-4267173,9575535649, 9039841580
Above United Bank Zone-2 MP Nagar Bhopal 462011 9111303282, 9770321089, 7898096580

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

भारत परिषद अधिनियम-1861

प्रावधान :–

1. वायसराय परिषद की सदस्य संख्या 04 से बढ़ाकर 05 कर दी गई। इस पांचवे सदस्य को अर्थमंत्री कहा गया।
2. केन्दोय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 06 से 12 के मध्य निर्धारित कर दी गई, ये सदस्य दो वर्षो के लिए वायसराय द्वारा नियुक्त होते थे।
3. लार्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार विभागीय पद्धति (पोर्टफोलियो) लागू कर दी, जिसके द्वारा एक निश्चित विभाग का एक निश्चित मंत्री को दे दिया गया।
4. इस एक्ट के द्वारा पहली बार विकेन्दोकरण व्यवस्था दिखाई दी तथा मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसियों को कुछ मामलों–मुद्रा, वित्त, ऋण आदि के मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
5. वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इसके लिए केन्दोय विधान परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं थी किंतु अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह थी।

- **लार्ड रिपन को भारत में ''विकेन्द्रीकरण का पिता'' कहा जाता है।**
- राष्ट्रपति की वर्तमान अध्यादेश समिति 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है।
- विभागीय व्यवस्था – मंत्रियों के विभाग निर्धारित किए गए।

शाही उपाधि अधिनियम-1876

1. इस अधिनियम के समय भारत का वायसराय लार्ड लिटन था।
2. इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटन की महारानी विक्टोरिया को ''**केसर–ए–हिन्द**'' की उपाधि दी गई।
3. वायसराय परिषद में छटवें सदस्य के रूप में पी PWD मंत्री की नियुक्ति की गई।

भारत परिषद अधिनियम-1892

प्रावधान :–

1. इस अधिनियम के द्वारा भारत में केन्द्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 16 कर दी गई।
2. केन्द्रीय विधान परिषद क अधिकारों में वृद्धि कर दी गई एवं परिषद के सदस्यों को बजट मामलों पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार मिला किंतु उन्हें पूरक प्रश्न पूछने और बहस पर मतदान का अधिकार नहीं था।
3. इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति प्रारंभ करना था जिसके अंतर्गत केन्द्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी कलकत्ता के वाणिज्य काउसिल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हाने लगे थे।

भारत परिषद अधिनियम (मार्ले मिन्टो सुधार)-1909

प्रावधान :– 1. वायसराय परिषद में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया, एस. पी. सिन्हा वायसराय परिषद मे शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे।

2. इस एक्ट के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद (CLC) की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, इनमें से 27 निर्वाचित और 33 मनोनीत सदस्य थे। इस प्रकार वायसराय परिषद के 9 सदस्य और जोड़ देने पर अब इसमें कुल 69 सदस्य थे।

CLC (कुल सदस्य – 69)

- **वायसराय + वायसराय परिषद**
- **60 अन्य सदस्य**
  - **27 निर्वाचित**
  - **33 मनोनीत**

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

4. CLC के अधिकारों में भी वृद्धि को गई और अब वे बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और उन्हें इस पर सीमित मतदान का अधिकार भी दिया गया।
5. इस एक्ट क सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत मस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए गए और मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुने जाने थे।

नोट – लार्ड मिन्टो को साम्प्रदायिक पृथक्करण का जनक कहा जाता है, मिन्टो ने कहा था ''हम नाग के बीज बो रहे ह जो केवल जहरीली फसल ही दे सकते हैं''।

भारत शासन अधिनियम (माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)-1919

प्रावधान :–

1. यह अधिनियम उत्तरदायी शासन के नाम से जाना जाता है।
2. भारत परिषद की सदस्य संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई और भारत सचिव की सहायता के लिए अलग से *High Commissioner* या उच्चायुक्त का पद बनाया गया जिसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था साथ ही भारत सचिव का वेतन अब ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा।
3. **इस अधिनियम द्वारा केन्द्र में द्विसदनात्मक विधानपरिषद की स्थापना की गई** जिसका उच्च सदन राज्यपरिषद कहलाता था जिसम 60 सदस्य होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था जबकि दूसरा निम्न सदन केन्द्रीय विधानसभा कहलाता था जिसमे 145 सदस्य थे जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। यद्यपि बजट संबधी बिल केवल केन्द्रीय विधानसभा म ही रखे जाते थे।

CLC

उच्चसदन → राज्यपरिषद् → 60 सदस्य → कार्यकाल–5 वर्ष
England-House of Lords

निम्नसदन → केन्द्रीय विधानसभा (लोकसभा) → 145 सदस्य → कार्यकाल–3 वर्ष
England- House of commons

4. इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राज्यों मे द्वैत शासन लागू किया गया जिसके अतंर्गत राज्य के विषयों को दो भागों मे विभाजित कर दिया गया।

राज्य (प्रांत)
↓
गवर्नर

गवर्नर परिषद्
आरक्षित विषय
↓
राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस
↓
निर्णय लेने का अधिकार
↓
गवर्नर
एवं गवर्नर परिषद को

प्रांतीय विधानसभा
हस्तांतरित विषय
↓
शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, कृषि आदि
↓
निर्णय लेने का अधिकार
↓
गवर्नर एवं प्रांतीय विधानसभा को

Shri Vedanta Civil Service Academy Indore
G-14,336, Veda Business Park Bhawarnkua Indore 0731-4267173,9575535649, 9039841580
Above United Bank Zone-2 MP Nagar Bhopal 462011 9111303282, 9770321089, 7898096580

5. इस एक्ट के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग क गठन का प्रस्ताव रखा गया और उसी के आधार पर केन्दोय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया साथ ही एक महालेखा परीक्षक का पद (1921) भी बनाया गया।
6. अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष, चुनाव पद्धति अपनायी गई साथ हो पृथक निर्वाचन पद्धति ईसाइयों, सिक्ख तथा आंग्ल भारतीयों के लिए लागू कर दिया गया।
7. वायसराय परिषद के 8 सदस्यों में कम से कम 3 भारतीय होना अनिवाय कर दिया गया।
8. *CLC* के सदस्यों को बजट मामलों पर पूरक प्रश्न पूछने के साथ–साथ वोट डालने का अधिकार दिया गया।
9. एक *Chamber of Princes* का गठन किया गया जिसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगासिह थे।

भारत शासन अधिनियम 1935

संवैधानिक निरंकुशता के दर्शन पर आधारित

भारतीय संविधान मुख्य रूप से इसी अधिनियम से प्रेरित है और इसके 75% उपबंध सीधे संविधान में शामिल किए गए :– (312 अनुच्छेद, 10 अनुसूची)

प्रावधान :– 1. एक अखिल भारतीय फेडर"ान (संघ) का गठन किया गया जो कि राजा रजवाड़ों से मिलकर बनेगा।

अखिल भारतीय फेडरशन

↓

ब्रिटिश भारत — **राजे रजवाड़े**

ब्रिटिश भारत ↓

ब्रिटि"। प्रांत (11) — ब्रिटिश कमि"नरीज (6)

रजवाड़ों को शामिल होने का अधिकार उनकी इच्छा पर रखा गया इसलिए यह फेडरेशन कभी अस्तित्व में नही आया क्याकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए।

2. साम्पदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए इसे दलितों पर भी लागू किया गया और उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया।
3. *India Council* को समाप्त कर दिया गया जो 1858 में बनाई गई थी एवं भारत सचिव को कुछ सहायक अधिकारी प्रदान किए गए।
4. पातों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और अब इसे केन्द्र पर लागू कर दिया गया, केन्द्रीय विधायिका के विषयों को 02 भागों में बाटा गया।

केन्द्र में द्वैध शासन

वायसराय परिषद
↓
आरक्षित विषय (*R.L.*)
↓
विदेश मामले,
धार्मिक मामले,
रक्षा मामले, जनजातीय मामले,
↓
कानून बनाने का अधिकार
↓
वायसराय एवं वायसराय परिषद

C L C
↓
हस्तातंरित विषय (*T.C.*)
↓
अन्य सभी विषय
↓
कानून बनाने का अधिकार
↓
वायसराय + *CLC*

Shri Vedanta Civil Service Academy Indore
G-14,336, Veda Business Park Bhawarnkua Indore 0731-4267173,9575535649, 9039841580
Above United Bank Zone-2 MP Nagar Bhopal 462011 9111303282, 9770321089, 7898096580

5. यमन और बर्मा को ब्रिटि"ा भारत से अलग कर दिया गया।

6. सिंध और उड़ीसा नामक दो नए राज्य बनाए गए।

***NOTE* :-** भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य उडोसा है, परन्तु स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आन्ध्रप्रदेश है।

7. प्रांतो को और अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई और सभी विषयों को 3 भागों मे बांट दिया गया।

प्रांतीय स्वायत्ता

फेडरल/संघ सूची	प्रांतीय राज्य सूची	समवर्ती सूची
59 विषय	54 विषय	36 विषय
कानून केवल केन्द्र द्वारा बनाए जाते है।	कानून केवल राज्य द्वारा बनाए जाते है	कानून केन्द्र व राज्य दोनों के द्वारा बनाए जाते है।

8. इस अधिनियम द्वारा ही संपूर्ण भारत में फेडरल कोर्ट बनाया गया यह कोर्ट 1937 में स्थापित किया गया जो कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना था। **सर मौरिस ग्वायर** पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

9. राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किए गए।

10. राज्य विधायिका को दो भागों में बांट दिया गया :-

a. राज्य विधान सभा   b. राज्य विधान परिषद

इस प्रकार राज्यों में द्विसदनात्मक पद्धति लागू कर दी गई।

नोट – भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र की स्थापना की गई इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।